"श्री राम लाल डांगी (खनन पट्टा संख्या 03/2020) की जन सुनवाई विवरण

दिनांक 13.09.2022 समय 11.30 प्रातः

यह जनसुनवाई श्रीमान ओ0पी0 बुनकर, अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर की अध्यक्षता एवं श्रीमान शरद जी सक्सेना क्षैत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, उदयपुर की उपस्थिति में आयोजित की गयी। जनसुनवाई प्रारम्भ होने से पूर्व श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.म. उदयपुर द्वारा, श्री ओ.पी. बुनकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर–(प्रशासन), उदयपुर का स्वागत किया गया तथा उपस्थित आमजन का स्वागत करते हुए जनसुनवाई के संबन्ध में नियमो की जानकारी देते हुए कहा की यह जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना (EIA Notification) दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 के प्रावधानों के अनुरूप राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, उदयपुर के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार 30 दिवस पूर्व आम सूचना स्थानीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर एवं राष्ट्रदूत में दिनांक 04.08.2022 को प्रकाशित करवा दी गई थी।

यह जनसुनवाई **"श्री राम लाल डांगी"** द्वारा प्रस्तावित क्वार्टज एवं फैल्सपार खनन परियोजना (खनन पट्टा संख्या 03/2020 लीज क्षेत्र 3.223 हैक्टेयर) क्लस्टर के अन्तर्गत सभी खनन पट्टो को शामिल करते हुए कुल क्लस्टर क्षेत्र 31.2685 हैक्टेयर, प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 1,86,045.6 TPA (ROM)एवं प्रस्तावित क्वार्टज एवं फैल्सपार उत्पादन क्षमता 18,28,595.8 TPAनिकट ग्राम–खाम की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर स्थित प्रस्ताबित परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् आयोजित की गई है। प्रस्तावित परियोजना की लागत लगभग रू. 55.15 लाख है।

अतः उद्योग के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जावेगी उसे ध्यानपूर्वक सुनें तत्पश्चात आपको यदि इसके बाबत् कोई सुझाव/शिकायत हो तो कृपया सबसे पहले अपना परिचय दें जिसमें आपका नाम तथा गांव का नाम बतायें साथ ही अपना सुझाव/शिकायत जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझें हमें दे सकते हैं।

इस जनसुवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव/शिकायतकी जावेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्व करेंगे तथा जनसुनवाई की कार्यवाही की विडियोग्राफी भी ली जा रही है। इसकी सी.डी./डी.वी.डी. के अनुरूप कार्यवृत बनाये जायेंगे। जिसको राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA), जयपुर को प्रेषित करेंगे क्यों कि इस इकाई को सन्दर्भ की शर्त (TOR) दिनांक 31.03.2021 को इस कमेटी द्वारा जारी की है एवं उसमें वर्णित समस्त शर्तों की उद्योग द्वारा पालना की जा रही है या की जायेगी

(ओ.पी. बुनकर)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

जिसकी संपूर्णता सुक्षमता से जांच कर पर्यावरण स्वीकृति पत्र जारी करने की कार्यवाही करेंगे।

लोक जन सुनवाई में उपस्थित क्षेत्र के पधारे हुए उधोगमालिक, ग्रामीण एवं जन प्रतिनिधि सदस्यों की सूची(**परिशिष्ठ "अ"** में सलंग्न) है।

उपरोक्त के पश्चात इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार (फूलग्रो)द्वारा उक्त इकाई के संबन्ध में तैयार की गई ई.आइ.ई रिपोर्ट संबंधित बनायी गयी कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी दी गई जो की **संलग्नक "ब"**के अनुसार है।

अतः कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी के पश्चात श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.म. उदयपुरद्वारा उपस्थित आमजन को अपने आक्षेप, सुझाव, शिकायते रखंने हेतु आंमत्रित किया गया जो कि निम्नानुसार हैः–

1. श्री संतोष सिंह राव ग्राम खाम की मादडीः–

माईन्स में बड़े–बड़े बोर हो रहे है। हमने कई बार कम्पलेन्ट की उसकी आज दिन तक कोई सुनवाई नहीं हुई और हमारी कम्पलेन्ट पर किसी ने कोई गौर नहीं किया है। मैंने कम से कम 100 कम्पलेन्ट की होगी आज दिन तक किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। सच बात तो यह है कि घरो में बड़ी–बड़ी दरारे हो गयी है उसमें अंगुली जाए जैसी। उसके लिये हम प्रशासन को बोलते रहे है । और सर हमारे यहां सबसे ज्यादा दो नम्बरी कार्य होता है।आज दिन तक किसी प्रशासन ने कोई एक्शननहीं लिया, न कोई पटवारी सुनता है न और कोई सुनता है। न कोई करताहै। सबसे ज्यादा दो नम्बरी कार्य नाईट में चलता है। एक नम्बर वाला बिचारा एक गाड़ी भी दिन की नहीं दे पाता है। यह पोजिशन है यहा।

2. श्री रूपसिंह जी ग्राम खाम की मादड़ीः–

हमारे बीच एक दीवाल है इधर इनका बीड़ा उधर हमारी खेती की जमीन है। माईन्स चले इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन एतराज इस बात का है कि वो पत्थर वगैरह हमारी काश्त में पड़ेंगे। फसल खड़ी होगी वहां पर पर पत्थर पड़ेंगे । पत्थर जो गिरेगा उसकी सफाई करने की इनकी जिम्मेदारी रहेगी । हमारे उधर मलबा पत्थर नहीं आना चाहिए।हमारी आबादी माईन्स क्षेत्र से ज्यादा दूर नहीं है और बड़ा ब्लास्ट नहीं होवे यह हमारी रिक्वेस्ट है।

पर्यावरण सलाहकार (फूलग्रो)ने बताया की माईन्स वेस्ट को माईन्स की खातेदारी में ही निर्धारित जगह पर डाला जाएगा ब्लास्टिंग भी डिलेएक टेक्नीक का इस्तेमाल कर किया जाएगाताकि आस पास के घरो में क्षति न पहुँचेएवं दिन में ब्लास्ट करेंगें जिसको की ई.आई.ए. रिपोर्ट में भी बताया गया है।

(ओ.पी. बुनकर)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

3. **श्री राम लाल डांगी, माईन्स ऑनरः—** ने कहा कि वे उसी अनुसार काम करेंगे।

4. **श्री देवीसिंह राव ग्राम खाम की मादड़ीः—**

मैं सभी अधिकारीगण से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी अलग—अलग विभाग से है। आप सभी से गांव की ओर से निवेदन करना चाहता हूँ कि जितनी भी लीगल माईन्सें है उन लीगल माईन्सों का हमारे गांव में बोर्ड टाईप लिखवा दिया जाए कि गांव में 10 माईन्सें है कि 15 माईन्सें है। लीगल माईन्सों के साथ—साथ कोई इललीगल माईन्सें भी चला रहा है तो हमें मालूम पड़े कि कितनी वैध है एवं कितनी अवैध चल रही है। एक बोड ऐसा लगाया जाए जो कि आपके ऑफिसीयली आपके विभागीय अफसरों के उस पर कोन्टेक्ट नम्बर हो।हमारी अगर कोई शिकायत हो तो आपके वहां तक चक्कर नहीं लगाना पड़े और फोन से काम हो जावे।

माईन्स देने के जो नॉर्म्स है उसकी एक बुक हमारे गांव वालों को दी जाए कि माईन्स इस नॉर्म्स के आधार पर चला रहे है कि पानी को छिडके कि, पेड लगावे कि अुमख काम करें या अमूख काम नहीं करें। ऐसी बुक हमारे को दी जाए जिससे हमारे गांव वालों को मालूम पडे कि माईन्स किस आधार पर चला रहे है। ये पानी छिडके या पेड लगावे ये—ये काम करें ये नहीं करें ऐसी एक बुक हमारे को दी जावे जिससे गांव वाले जागरूक रहे।

दूसरी बात है कि खाम की मादडी से जो भी राजस्व जाताहै माईनिंग का वह मेरे को जहां तक अनुभव है कि जितना पैसा कलक्ट होता है यहां से वह पैसा दूसरी जगह लग जाता है और हम ऐसे ही रहते है। रोड टूट रहीं है। मीटिंगें होती है और जहां से माईन्स चलती है, माईन्सें है मुख्य सड़क तक ये पानी छिडकवाने का काम करें और आज दिन पहले जितनी भी माईन्सें एलोट हुई है तो हमने एक भी माईन्स पर यह नहीं देखा है कि एक भी वृक्ष उन्होने लगाया हो । आज अपन सब साथ में बैठे है मैं यह आपसे आग्रह निवेदन कर रहा हूँ आप अच्छे से सुन रहे है आपके ऑफिस में जाएंगे तो हमारी एक तो कोई सुनने वाला नहीं है कोई आप जैसे कोई अच्छे भले होंगे तो वो कहेंगे कि इस तरह से करों, यह करों, वह करों ।मैं आपसे सभी विभागों से जो भी अधिकारीगण महानुभव पधारे हुए है आपसे एक ही निवेदन है कि जो कहा गया है उसकी पूर्ति करावें।

5. **श्री शरद सक्सेना जी क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुरः—**

ने बताया कि माईन्स के बारे में जो भी रूल्स की बुक में है एवं जो भी परमिशन दी गयी है उसमें यह लिखा हुआ है कि रूल्स एण्ड रेगुलेशन्स की पालना करनी चाहिये जोसभी माईन्स पर एप्लीकेबल है । माईनिंग विभाग से परसनली कोई कन्सर्न है तो माईनिंग विभाग वाले बैठे हुए है आप उनको दे सकते है।

(ओ.पी. बुनकर)
अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

श्री देवी सिंह राव ने बताया कि गांव में बोर्ड वगैरह लगाया जावे इस पर श्री सक्सेना ने बताया कि माईन्सों पर बोर्ड लगे हुए है।

6. **श्री देवीसिंह राव ग्राम खाम की मादड़ीः–**

माईन्स पर केवल माईन्स कानाम लिखा होता है अधिकारीगण के कोन्टेक्ट नम्बर नहीं होते है। गांव में 10 माईन्सें है कि 15 माईन्सें है एक जगह बोर्ड लगा दो कि यह लीगल है यह अनलीगल है।

इस पर एडीएम साहब ने माईनिंग विभाग को इसबारे में बताने के निदशदिये जिस पर माईनिंग विभाग के संबन्धित अधिकारी ने बताया कि माईनिंग इंजिनियर के नम्बर ओन लाईन है और नम्बर चाहने पर मैं दे सकता हूँ ।

7. **श्री संतोष सिंह राव ग्राम खाम की मादड़ीः–**

माईनिंग इंजिनियर साहब को कितनी ही बार फोन किया तो वो कितनी बार आए।

8. **श्री ओ.पी. बुनकर जी अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), उदयपुरः–**

मैं पिछली बार साल भर पहले जन सुनवाई में आया तो उस दिन आप सभी ने यह कहा था कि जिसकी जनसुनवाई हो रही है उसकी एनओसी दे दो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बाकी सब को रिव्यू कर दो। उस दिन माईनिंग वाले कोई नहीं थे दूसरे दिन माईनिंग वालो को भेजा था जो आए थे। आज माईनिंग वालो को साथ में लाया हूँ । एक–एक की हिस्टरी आप बताओगे। नामजद शिकायत देनी होगी। पिछली बार कहा कि माईन्स मालिक बाउण्डरी बताता कहा है एवं खोदता कहा है इसकी कम्पलेन्ट मिली। इस पर माईनिंग वालो ने कार्यवाही की। स्पेसिफिक कम्पलेंट होतो उस पर तो कार्यवाही होगी। मुजे को कभी कोई मेरे ऑफिस में आकर नहीं मिला। दूसरी बात एक कन्ट्रोल रूम जिला कलक्टर का 24 घण्टे खुला रहता है जिसका नम्बर है। 0294–2414620 इस पर शिकायत बताओंगे तो आपको रेस्पोन्स मिलेगा। माईनिंग विभाग वालो की टीम आज आई हुई है जो भी कम्पलेंट हो बताए। मेन रोड काफी टूटा हुआ है डीएमएफटी वाले मेन रोड को तो प्रायरोटी पर लेवे। मेन रोड से माईन्स तक की सड़क के बारे में माईन्स ऑनर की जिम्मेदारी है। स्कूल में जनसुनवाई रखने का अर्थ है कि कुछ स्कूल का भी ध्यान रखा जावे। पिछली बार स्कूल में जनसुनवाई रखी गयी थी अभी छत वगैरह ठीक लग रही है। आप जो भी करों आपके आसपास जो स्कूल हो, आंगनवाडी हो, उसको भी आप देखों। उसके अन्दर आप सहयोग करें । प्लान्टेशन नहीं किया गया है तो किया जावे। कितने पेड लगाए गए है क्या स्थिति है कितना खाली छोड रखा है कितने में कहां डम्पिंग कर रहा है। कहीं इधर उधर तो डम्पिंग नहीं कर रहा है एवं ब्लास्ट करें तो पत्थर आकर दुसरे की भूमि पर नही पडे और ऐसी कहीं कोई परशानी नहीं हो रही है। हम ऐसा मान सकते है कि माईन्स ऑनर थोडा सा पावरफुल आदमी है

(ओ.पी. बुनकर)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

आस पास वाला कोई गरीब आदमी होगा जिसका कि खेत होगा या कोई घर होगा । कोई ऐसा नहीं हो कि उसको कोई परेशानी हो यह सभी राजकीय विभागों को सुनिश्चित करना है। यह रेगुलर देखते रहना है जैसा कि आज कर दिया फिर 2–3 माह बाद देखेंगे तो बता पाएंगे कि क्या फीड बैक है और क्या नहीं। यहॉ सब जगह सब तरह के लोग होते है तो डेफिनेटली 20 माईन्स ऑनर होंगे तो2–3 तो बदमाश होंगे ही। जोकुछ न कुछ गड़–बड भी करतें होगे। इधर से खोद कर उधर से दिखाते भी होंगे। इन चीजों को रोकना है जिससे कि सिस्टम और माईनिंग विभाग की इमेज भी बनी रहे । जो कि अभी कोई अधिकारी है वह अपना काम ठीक से कर रहे है। यह खनन विभाग आपको करना है।

9. **श्री देवीसिंह राव ग्राम खाम की मादड़ीः–**

मुख्य गांव के पास एक श्री लोकेन्द्रसिंह की माईन्स है वहां पर आरक्षित जमीन है वहां पर भी खोद दिया गया है गांव से पूर्व की तरफ है नीयर गांव की आबादी के पास है उस माईन्स को निरस्त करने की कार्यवाही करावें।

10. **श्री ओ.पी. बुनकर जी अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), उदयपुरः–**

यह तहसीलदार साब आपकी जिम्मेदारी है कि जितनी भी माईन्स है उनके चारों तरफ पिलर्स लगे हुए है कि नहीं । खनीज विभाग के प्रतिनिधी को निर्देश प्रदान किए कि हर माईन्स के आपके जो भी चारों तरफ पिलर लगे रहते है यह सुनिश्चित किया जाए कि जितनी माईन्सें है उनके चारों तरफ पिलर लगे हुए है या नहीं।

11. **श्री देवी सिंह राव ग्राम खाम की मादड़ीः–**

दोनों साईडों के बीच में और रोड के एकदम पास है गांव के पास है। श्री देवी सिंह राव ने बताया कि माईन्सों पिलर आदि कुछ भी लगे हुए नहीं है और इतनी गांव के नजदीक है कि जिससे आम जनों को एवं राहगिरों को परशानी हो रही है।

12. **श्री ओ.पी. बुनकर जी अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), उदयपुरः–**

सिम्पल बात है जिसका जिसका बाउण्डरी पिलर नहीं है इसका मतलब वह बाहर जा रहा है 100 प्रतिशत इसमें कोई बात नहीं है उसके मन में बेईमानी है इसीलिये उसने पिलर हटाये है। अन्यथा पिलर लगे रहते है। दूसरी तरफ तहसीलदार या लोकल पटवारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी माईन्स ऑनर अपने निश्चित पिलर के बाहर नहीं जाए और पिलर से बाहर जाए तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

(ओ.पी. बुनकर)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

13. श्री संतोष सिंह राव ग्राम खाम की मादड़ी:–

श्री लोकेन्द्रसिंह की माईन्स के लिये बताया कि तहसीलदार साहब ने माईन्स के पास रास्ता छुडवाया था तो लोकेन्द्रसिंह ने उस रास्तो को भी काटकर उस पर डम्पिंग कर दिया और नीचे से भी ।

14. श्री भीम सिंह, निवासी खाम की मादडी :–

श्री लोकेन्द्रसिंह जो माईन्स ऑनर है उसकी सीमा के पिलर नहीं है उसकी सीमा का जो पीलर है उस पीलर के अलावा भी वो जमीन खा रहा है उसके पास में मेरी जमीन है । मेरी दीवार बाड वगैरह सब उसकी माईन्स के अन्दर गिर गयी है अभी भी अगर कोई अधिकारी हो तो वह चल सकते है।

15. श्री ओ.पी. बुनकर जी अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), उदयपुर:–

माईनिंग विभाग के उपस्थित कार्मिक श्री राकेश फोरमेन को माईन्स पर जाकर देखने के निर्देश प्रदान किए ।

16. श्री राय सिंह राणा, निवासी खाम की मादडी :–

निवेदन है कि वर्तमान में एक से अधिक जितनी भी माईन्से चालू है तो न तो कभी गांव के बीच में होकर के कच्ची सडक है तो जो अभी एलोट होने जारहीहै या हुई है उसके लिए आप फरमा रहे है कि पानी का छिडकाव करेंगे। पेड–पौधे लगाएंगे, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए। तो मेरा आपसे निवेदन है या मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि आज दिन के पहले जितनी भी माईन्से चालू है उसी तरीके से यह भी चालू होने के बाद में पानी का छिडकाव होगा या नहीं होगा। पेड़–पौधे लगायेंगे या नहीं लगायेंगे या सिर्फ एक कहने के लिए है। बाकी यह व्यवस्था तो पूर्व में माईन्सों के लिए चालू है उनके उपरभी लागू होगी तो वो अभी तक हमारे जैसे गांव के बींच में होकर सडक निकल रही है वहां आस–पास में रहने वाले रोज डेली धूल–मिट्टी खा रहेहै। कपडे धोकर बाहर नहीं सुखा सकते है बाहर सो नहीं सकते है इतनी धूल मिट्टी उडती है क्या इनके रोकथाम के लिए प्रभावी ढंग से कदम उठाए जाएंगे कि ये पेड पौधे लगायंगे, पानी का छिडकाव भी करेंगे या जनसुनवाई तक आज तक सीमित रहेंगे।

17. श्री राम लाल डांगी माईन्स ऑनर :–

ने आश्वासन दिया कि पानी का छिडकाव करेंगे। पौधे भी लगाएंगे जो भी नियम है उसके खिलाफ हम नहीं चलेंगे।

(ओ.पी. बुनकर)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

18. श्री शरद सक्सेना जी क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुरः–

ने निर्देश प्रदान किए कि पानी के टेंकर पर जीपीएस लगाया जाए जिससे लोकेशन का पता रहे एवं कोई शिकायत नहीं कर पाएंगे कि पानी का छिडकाव नहीं हो रहा है। सारे के सारे कलस्टर वहां मिलकर काम करें । सब पानी के टेंकर के जीपीएस लगवा दिए जाए ताकि यह शिकायत वापस नहीं आएगी। लोकल एनजीओ है शिकायतकर्ता उनकी मदद भी ले सकते है। जितना भी ऐरिया है वह क्लस्टर के हिसाब से है।

19. श्री देवीसिंह राव ग्राम खाम की मादड़ीः–

लोकेन्द्रसिंह की माईन्स के पास पांच फूट की जगह नहीं है और 100–100 फीट के खड्डे है।

20. श्री संतोष सिंह रावग्राम खाम की मादड़ीः–

सर हमारे यहां सबसे ज्यादा दो नम्बरी कार्य होता है। आज दिन तक किसी प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया, सबसे ज्यादा। न कोई पटवारी सुनता है न और कोई सुनता है। न कोई करता है। सबसे ज्यादा दो नम्बरी कार्य नाईट में चलता है। एक नम्बर वाला बिचारा एक गाड़ी भी दिन की नहीं दे पाता है। यह पोजिशन से यहां।

21. श्री ओ.पी. बुनकर जी अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), उदयपुर :–

आप ओर कोई सुझाव देना चाहे तो ऑफिस के टेलीफोन नम्बर पर दे सकते है। ई–मेल आईडी पर दे सकते है लिखित में देना चाहे तो लिखित में दे सकते है। जिन्हें अपनी रिपोर्ट में शामिल करके वह रिपोर्ट राज्य सरकार को भिजवायी जावेगी । जिससे वह तय करेगी कि पर्यावरण स्वीकृति देय है या नहीं । हमारी जिम्मेदारी आपकी बात आगे तक पहुंचाने की है। इसकी विडियो रिकॉर्डिन्ग हुई है। सीडी भी साथ जाएगी और भी कोई बात होतो लिखित में या मौखिक रूप से मेरे कार्यालय में या कन्ट्रोल रूम में वहां पर दे सकते है या ई–मेल करवा सकते है।

22. माईन्स ऑनर श्री रामलाल डांगीः–

हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं आएगी। श्री भीमसिंह ने बताया कि उसकी 150 बीघा जमीन है उसके पास में बिलानाम जमीन है उसमें से हमारी जमीन में जाने का रास्ता दिया जावे। एडीएम साहब ने बताया कि संबंधित से बात कर लेना। यह माईन्स से संबंधित इश्यू नहीं है।

23. श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारीः–

(ओ.पी. बुनकर)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर ने उपस्थित जनसमुदाय को बताया कि आपके द्वारा दिये गये सुझावों एवं आक्षेपो को जनसुनवाई के कार्यवृत में शामिल किया जावेगा तथा कार्यवाही विवरण की वीडियो, रिकॉर्डिंग सी.डी **(परिशिष्ठ "द"** में सलंग्न) एवं फोटोग्राफ **(परिशिष्ठ "य"** में सलंग्न) के साथ उन्हें राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जयपुर के समक्ष प्रेषित किया जावेगा। इसके बाद क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर–(प्रशासन), उदयपुर को इस जनसुनवाई को समाप्त करने हेतु निवेदन किया तत्पश्चात जनसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, (प्रशासन)
जिला–उदयपुर

(ओ.पी. बुनकर)
अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)

(शरद सक्सेना)
क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षे.का.,रा.प्र.नि.म., उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

संलग्नक : 1

श्री राम लाल डांगी, क्वार्टज एवं फैल्सपार माईन्स, (एम.एल. सं. 03/2020, क्षैत्रफल–3.223 हैक्टेयर), प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 1,86,045.6 **TPA (ROM)** एवं प्रस्तावित क्वार्टज एवं फैल्सपार उत्पादन क्षमता 18,28,595.8 **TPA** निकट ग्राम–खाम की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई बाबत् दिनांक 13.09.2022 को 11:30 **AM** बजे, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, खाम की मादडी में श्री राम लाल डांगी, क्वार्टज एवं फैल्सपार माईन्स, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर में आयोजित जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारी एवं स्थानीय नागरिकगणः–

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	A.D.M. Sh. O.P. Bunkar	A.D.M. Udaipur	[signature]
2.	R.O. Sh. Sharad Saxena	R O RPCB Udaipur	[signature]
3.	S.O. Dr. Aditi Solanki	RO RPCB Udaipur	[signature]
4	Madan Singh Rao	ILR Rev. Ghasa	[signature]
5	Parvat Singh	घासा त. मावली जि. उदयपुर TDR	[signature]
6	सुखलाल डांगी लोकेश डाँगी	बंन्शी लाल डाँगी, (घासा)	लोकेश डांगी
7	मांगीदास	खाम की मादडी	मांगीदास
8	खुमाणसिंह	खाम की मादडी	खुमाणसिंह
9	सुरेश डांगी	ओडवाडिया	सुरेश
10	हीराजी	घासा	
11	रामलाल डांगी	घासा	रामलाल
12	रूपलाल डांगी	घासा	रूपलाल डांगी
13	बाबा	खाम की मादडी	
14	रोडीलाल	खाम की मादडी	[signature]
15	सवाई सिंह जी	खामकी मादडी	सवाई सिंह
16	रायसिंह जी	खामकी मादडी	

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
17	सुरसिंह जी	खामकी मादड़ी	सुरसिंह
18	रायसिंह जी	खामकी मादड़ी	[illegible]
19	रघुनाथसिंह जी	खामकी मादड़ी	[illegible]
20	[illegible] सिंह राव	खामकी मादड़ी	[illegible]
21	रेणु पालीवाल	पटवारी [illegible]	[illegible]
22	Manindra Gaur	Tulpro enviro engineering	[illegible]
23	C.P. Jeengar O.S	RSPCB, Udaipur	[illegible]
24	Rakesh Meghwal M.F.	Mines & Geology	[illegible]
25	प्रेमसिंह	खामकी मादड़ी	प्रेमसिंह
26	हिरसिंह जी	खामकी मादड़ी	हीरसिंह
27	अरविंद डांगी	ओड़वाड़िया	Arvind
28	सज्जन सिंह राव	खाम की मादड़ी	[illegible]

...समारोह में भाग लेने वाले दिव्यांग एवं ...आयु प्रमाण पत्र आदि का वेरिफिकेशन किया ...तक 48 जोड़ों का पंजीयन कर लिया है।

में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।

भारतीय कला को देश विदेश तक पहुंचाने का कार्य किया।

कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)

क्रमांक F.15( )Hudco/2022/1884

आम–सूचना

दिनांक: 01.08.2022

निम्न आवेदनकर्ता द्वारा अपने क्वाटर का मूल आवंटी/वारिसान/विक्रय पत्र/हक त्याग पत्र के आधार पर अपने नाम पर नामान्तरण/लीजडीड जारी हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है:-

क्र. सं.	क्वाटर संख्या	क्षेत्रफल वर्गफीट	योजना का नाम	आवेदक का नाम / पिता / पति का नाम	वारिसान / विक्रेता का नाम
1.	EWS-308	355.08	पुरोहितो की मादड़ी	श्री देवीलाल पालीवाल पिता श्री मन्नालाल पालीवाल	मूल आवंटी
2.	L-41	425.95	दक्षिण विस्तार	श्रीमती सुप्रिया धाबाई पत्नी श्री विजय सिंह धाबाई	श्रीमती रेणु कुंवर पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.10.2013 के आधार पर
3.	E-191	355.08	दक्षिण विस्तार	श्री कालूलाल पिता श्री किशोर लाला जैन	मूल आवंटी
4.	EWS-52	355.08	पुरोहितो की मादड़ी	श्री सत्यनारायण चौरसिया पिता श्री रामगुलाम	पुनः लीजडीड
5.	42	1012.6	किशनपोल	श्री कुतुबदीन पिता स्व. श्री फखरूदीन भीण्डर वाला बोहरा	श्री हातिम अली पिता स्व. श्री फखरूदीन भीण्डर वाला बोहरा द्वारा निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 29.01.2022 के आधार पर
6.	71	355.08	पुरोहितों की मादड़ी डी ब्लॉक	श्री पंकज जैन पिता श्री शान्तिलाल जैन	मूल आवंटी
7.	287-A	355.08	भुवाणा, चित्रकूट नगर	श्रीमती मुन्नीबाई पत्नी श्री शान्तिलाल जैन	मूल आवंटी
8.	L-157	636.13	हिरण मगरी सेक्टर नं.-6	श्री विरेन्द्र कुमार पिता श्री हनुमान मेहता जरिये मुख्तियार आम श्री गोपाल लाल अरोड़ा	पुनः लीज-डीड

अतः उपरोक्तानुसार उक्त क्वाटर का मूल आवंटी / वारिसान/विक्रय पत्र / हक त्याग पत्र के आधार पर नामान्तरण पत्र / लीज डीड जारी करने के संबंध मे यदि किसी व्यक्ति/संस्था/फर्म को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति / एतराज हो तो अपनी आपत्ति मय आधारो सहित सार्वजनिक सूचना पत्र के प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि में इस कार्यालय मे संबंधित शाखा के अन्दर इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर संबंधित शाखा प्रभारी को लिपिक को प्रस्तुत करायें। अन्यथा बाद गुजरने मयाद आवेदक के नाम पर उक्त क्वाटर का नामान्तरण-पत्र/ लीजडीड जारी की जा सकेगी।

राज.संवाद/सी/5862/2022-2023

प्राधिकृत अधिकारी हुड़को शाखा

कार्यालय समन्वयक

प्री. एम.पी.एड., बी.पी.एड, एम.एड. तथा एकीकृत बी.एड.-एम.एड. पाठ्यक्रम-2022

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

महाराव भीमसिंह मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा

क्रमांक : 31

प्रवेश अधिसूचना-01/2022

दिनांक : 03.08.2022

राजस्थान राज्य में स्थित विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों/संस्थानों में सत्र 2022-23 हेतु केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था के माध्यम से प्रवेश प्रदान करने के लिये राज्य सरकार द्वारा कोटा विश्वविद्यालय, कोटा को नोडल एजेन्सी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप निम्नांकित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु दिनांक 04.08.2022 से दिनांक 18.08.2022 तक ऑनलाईन पद्धति से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	वेबसाईट	आवेदन शुल्क
1.	द्विवर्षीय एम.पी.एड. पाठ्यक्रम	www.pmped2022.com	700/-
2.	द्विवर्षीय बी.पी.एड. पाठ्यक्रम	www.pbped2022.com	700/-
3.	द्विवर्षीय एम.एड. पाठ्यक्रम	www.pmet2022.com	500/-
4.	तीन वर्षीय बी.एड.-एम.एड. (एकीकृत) पाठ्यक्रम	www.pbmet2022.com	500/-

उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन करने सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देश सम्बन्धित पाठ्यक्रम की उक्त संदर्भित वेबसाईट पर पृथक-पृथक रूप से उपलब्ध है। तद्नुसार पाठ्यक्रमवार योग्यताधारी इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र भरें।

समन्वयक

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ: 470, यू.सी.सी.आई. भवन के पास, मेवाड़ औधोगिक क्षेत्र, मादडी, उदयपुर (राज.)

ई-मेल : rorpcbudaipur@gmail.com फोन नं.: 0294-2491269

पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

विषयः- **मैसर्स राम लाल डांगी एम.एल.न. 03/2020 (क्षेत्रफल 3.223 हैक्टेयर) "क्वार्टज एवं फैल्डस्पार", ग्राम-खाम की मादडी, तहसील-मावली जिला-उदयपुर हेतु क्लस्टर पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई**

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स राम लाल डांगी के द्वारा क्वार्टज एवं फैल्डस्पार क्लस्टर माईनिंग प्रोजेक्ट क्लस्टर क्षेत्रफल 31.2685 हैक्टेयर, 07 mining leases i.e. (1- राम लाल डागीं M.L.no.03/2020, Ref. no. 20201000016840 Area-3.223), (2. मेसर्स हिंगलाज एक्सपोर्ट M.L.No.250/2012, Area-4.5001), (3.मेसर्स मयुरा मिनरल्स M.L.No.-198/2012, Area-4.0235), (4. श्री सुखवीर सिंह चोधरी M.L.No. 05/2013, Area-4.9572), (5. श्री उदय लाल डागीं M.L.No.437/2011, Area-4.9765), (6. श्री प्रभु सिंह रावत M.L.No.-24/2013, Area-4.9398), (7-श्री किसन सिंह राव M.L.No.-94/2012, Area-4.6484) ,'उत्पादन परियोजना क्षमता 186045.6 टन प्रतिवर्ष (रोम), कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 31.2685 Hect., क्लस्टर की कुल उत्पादन क्षमता 18,28,592.8 TPA "क्वार्टज फैल्डस्पार', ग्राम-खाम की मादडी, तहसील-मावली, जिला-उदयपुर का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है। 2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर की लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। 3. उक्त परियोजना से सबन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है: 1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर 2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय- 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, - जयपुर 3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए-216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डुंगरी, जयपुर। 4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एंव पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) 5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर 6) उपखण्ड अधिकारी, मावली, जिला-उदयपुर 7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितिय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। 8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ-470, मेवाड औद्यौगिक क्षेत्र, मादडी उदयपुर (राज.) अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 13.09.2022 (मंगलवार) को प्रातः 11.30 बजे, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खाम की मादडी, तहसील-मावली, जिला-उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप कोविड-19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते है साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते है।

क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, उदयपुर

वन भवन, चेटक सर्कल, email:-dcfdod@gmail.com

कमांक एफ( ) उवस/विकाम/उत्पादन-।/बांस परिवहन/2022-23/1348

दिनांक :-02.08.2022

बांस परिवहन ई-निविदा सूचना कमांक-2/2022-23

सर्वसाधारण विशेषकर ट्रक मालिकों व ट्रान्सपोर्टर कम्पनियों को सूचित किया जाता है कि इस वन मण्डल अधीन वर्ष 2022-23 मे विदोहित किये जाने वाले बांसो का परिवहन (मय भराई एवं खाली कराई) निम्न विवरण अनुसार किया जाना है। बांस परिवहन हेतु दुलाई (मय भराई एवं खाली कराई) की दरों की निविदाए आमंत्रित की जाती है। परिवहन कार्य का विवरण निम्न प्रकार है :-

कार्य का विवरण	कहां से	कहां तक	अनुमानित माणक बांस	अनुमानित लागत	अमानत राशि	निविदा शुल्क	RISL प्रोसेसिंग फीस
बांस परिवहन मय भराई एवं खाली कराई	वन क्षेत्र तोरणा- । तहसील कोटडा, जिला उदयपुर	विक्रय केन्द्र स्वरूपगंज, सिरोही	5.00 लाख	14.00 लाख	28000/-	1000/-	1000/-
	वन क्षेत्र रामकुण्डा तहसील झाडोल, जिला उदयपुर	विक्रय केन्द्र स्वरूपगंज, सिरोही	5.00 लाख	16.00 लाख	32000/-	1000/-	1000/-

ऑन लाईन निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने/निविदा जमा कराने की तिथि	**03 अगस्त 2022** प्रातः 10.00 बजे से **26 अगस्त 2022 प्रातः** 10.00 बजे तक http://eproc.rajasthan.gov.in पर
निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रोसेसिंग फीस की डी.डी. भौतिक रुपसे जमा कराने की तिथि एवं स्थान	**26 अगस्त 2022** को दोपहर 01.00 बजे तक (उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, उदयपुर के कार्यालय वन भवन परिसर, मोहता पार्क के सामने, चेटक सर्कल, उदयपुर)
ऑन लाईन निविदा खोलने की तिथि	**26 अगस्त 2022** दोपहर 3.00 बजे(उप वन संरक्षक उदयपुर के कार्यालय वन भवन परिसर, मोहता पार्क के सामने, चेटक सर्कल, उदयपुर)

1. निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण वेबसाईट https://sppp.rajasthan.gov.in पर NIB Code-FOR2223A0296 पर UBN-FOR2223SSOB00355 एवं http://dipr.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2. निविदाओं की समस्त प्रक्रिया ऑन-लाईन ई-टेन्डरिंग से होगी। निविदाओं को केवल मात्र वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर ही जमा (upload) कराया जा सकता हैं।

उप वन संरक्षक
विभागीय कार्य मण्डल उदयपुर

क विवाह 28 से

दिव्यांग जनों की
वर्षों से समर्पित
का 38वां दो
व्यांग एवं निर्धन
रोह वैदिक रीति
को उदयपुर में
स्थान अध्यक्ष,
ाया कि संस्थान
ारोह के माध्यम
ोड़ों की गृहस्थी
अपनी संतति के
ापन कर रहे हैं।
भाग लेने वाले
क-युवतियों के

आय-आयु प्रमाण पत्र आदि का वेरीफिकेशन किया जा चुका है। संस्थान वर्ष में 2 बार विवाह समारोह आयोजित करता है। इसमें विभिन्न राज्यों के बन्धु- बहिनें विवाह बंधन में बंधते हैं। समारोह के संयोजक नरेन्द्र सिंह चौहान के अनुसार इस सामूहिक विवाह के लिए अब तक 48 जोड़ो का पंजीयन कर लिया गया है।

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे व्यवहारी कान सिंह गेहलोत पिता स्व. श्री रामसिंह जी गेहलोत, उम्र 63 वर्ष, निवासी 61, राताखेत, संजय गार्डन के सामने, सीसारमा रोड, उदयपुर के द्वारा प्रदत्त जानकारी एवं निर्देशानुसार निम्न आम सूचना प्रकाशित करता हूं कि--

मेरे व्यवहारी का बड़ा पुत्र संदीप सिंह गेहलोत, उम्र 35 वर्ष लम्बे समय से उसके कहने में व नियन्त्रण में नही है और न ही वर्तमान में मेरे व्यवहारी के साथ निवासरत है।

लिहाजा मेरा व्यवहारी अपने पुत्र को अपनी चल व अचल सम्पत्ति व समस्त उत्तराधिकारी संबंधित अधिकारों से बेदखल करता है। आज के बाद मेरे व्यवहारी का संदीप सिंह गेहलोत से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा। कोई भी दिगर व्यक्ति यदि संदीप सिंह गेहलोत से लेन-देन व संव्यवहार करता है तो उसके लिये मेरा व्यवहारी जिम्मेदार नहीं रहेगा।

स्थान-उदयपुर — डा. पंकज कुमार धारबर (एडवोकेट)
दिनांक-2-8-22 — 18-ए संजय कॉलोनी, राताखेत सज्जननगर, उदयपुर मो.7737667677

कार्यालय नगर पालिका फतहनगर सनवाड़ जिला उदयपुर (राज.)

क्रमांक:-न.पा.फ.स./90-ए/2022-23/1629 — दिनांक: 1 8 22

-: लोक सूचना :-

श्रीमती कमली बाई पत्नी श्री सोहन लाल खटीक निवासी-फतहनगर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.) ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक (आवासीय प्रयोजनार्थ) हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है अर्थात-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल
मावली, जिला उदयपुर (राज.)	राजस्व ग्राम सनवाड़, पटवार हल्का सनवाड़	6753/5278	रकबा 0.0302 हैक्टेयर
		कुल किता-01	

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप हे तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियम समय के भीतर -भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले को निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक .... को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी, नगरपालिका फतहनगर सनवाड़

प्रारूप-10 (नियम-6(7) देखिए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद राजसमन्द

सं.1850 — दिनांक:03/08/2022

लोक सूचना

श्रीमती इन्द्रा देवी कुमावत पत्नी श्री गौरीशंकर एवं श्री गोपालकृष्ण उर्फ गोपाल पिता श्री गौरीशंकर कुमावत निवासी होली थाना के पास भीलवाड़ा रोड़ कांकरोली द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

क्र. सं.	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
1	राजसमन्द	धोईन्दा	2034	रकबा 0.2023 हैक्टेयर में से 0.0404 भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ।

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर- भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 03-08-2022 को जारी की गयी। प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगरपरिषद, राजसमन्द

प्रारूप-10

(नियम-6(7) देखिए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर पालिका, नाथद्वारा

सं./न.पा.नाथ/90क/22/14594 — दिनांक:29/07/2022

लोक - सूचना

मैसर्स चारभुजा डवलपर्स, रामानुज सदन कांकरोली, जिला-राजसमन्द जरिये भागीदार श्री चतुर्भुज पिता श्री निवास गट्टानी माहेश्वरी ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर -कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
नाथद्वारा जिला-राजसमन्द	नाथुवास	850,1457/850,1458/1096,854, 855,856,857	कुल रकबा 03-18-00 बीघा

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक .... को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त
नगर पालिका नाथद्वारा

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

विधि/वसूली विभाग, मंडल कार्यालय, उदयपुर
एल आई सी भवन, तीसरा तल, सबसिटी सेन्टर, रेती स्टेण्ड के पास, उदयपुर
फोन नंबर: 0294-2688008/09/22/26, ई-मेल: cs8328@pnb.co.in

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002, परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें]
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि
अधोहस्ताक्षरकर्ता देवेन्द्र सिंह चुण्डावत ने पंजाब नैशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 सपठित, प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में ऋणी श्री सुरेश कुमार पटेल पुत्र श्री भगवान लाल एवं सह-ऋणी श्री भगवान लाल डांगी पुत्र श्री मोडा डांगी पर मांग सूचना दिनांक 13.05.2022 पर उस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर दिनांक 30.04.2022 को बकाया राशि रू. 17,65,531.74 (रूपये सत्रह लाख पैंसठ हजार पांच सौ इकतीस एवं पैसे चौहत्तर मात्र) प्लस दिनांक 01.05.2022 से ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों का पुनर्भुगतान करने के लिए मांग सूचना जारी की गई।
ऋणी द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने पर एतद्वारा सूचना ऋणी और आम जनता को दी जाती है कि निम्नहस्ताक्षरकर्ता ने दिनांक 29, माह जुलाई, वर्ष 2022 को उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत, उक्त अधिनियम की उपधारा 8 के साथ पठित उस पर प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति को कब्जे में ले लिया है।
कर्जदारों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुडाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।
ऋणियों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं को विशेष एवं आम जनता को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किया गया कोई भी संव्यवहार दिनांक 29.07.2022 को बकाया राशि रू. 17,03,899.74 (रूपये सत्रह लाख तीन हजार आठ सौ निन्यानवे एवं पैसे चौहत्तर मात्र) प्लस दिनांक 30.07.2022 से ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों का पुनर्भुगतान करने के लिए पंजाब नैशनल बैंक, शाखा सेक्टर-4, हिरण मगरी, उदयपुर, राजस्थान के प्रभार के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का वर्णन

सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं जो कि श्री भगवान लाल डांगी पुत्र श्री मोडा डांगी के नाम साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति जो प्लॉट नं. बी-133, हाउसिंग कॉलोनी एमआईए (एक्सटेंशन) उदयपुर, राजस्थान पर स्थित है। <u>सीमाएं</u>- उत्तर: 30' रोड, दक्षिण: प्लॉट नं. ए-109, 110, पूर्व: प्लॉट नं. बी-132, पश्चिम: प्लॉट नं. बी-134

हस्ता.
स्थान: उदयपुर — (देवेन्द्र सिंह चुण्डावत)
दिनांक: 29.07.2022 — प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, पंजाब नैशनल बैंक

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

विधि/वसूली विभाग, मंडल कार्यालय, उदयपुर
एल आई सी भवन, तीसरा तल, सबसिटी सेन्टर, रेती स्टेण्ड के पास, उदयपुर
फोन नंबर: 0294-2688008/09/22/26, ई-मेल: cs8328@pnb.co.in

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002, परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें]
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्तियों के लिए)

जबकि
अधोहस्ताक्षरकर्ता देवेन्द्र सिंह चुण्डावत ने पंजाब नैशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 सपठित, प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में ऋणी श्री अभिषेक शर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द शर्मा पर मांग सूचना दिनांक 04.03.2022 पर उस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर दिनांक 28.02.2022 को बकाया राशि रू. 36,16,447.05 (रूपये छत्तीस लाख सोलह हजार चार सौ सैंतालीस एवं पैसे पांच मात्र) प्लस दिनांक 01.03.2022 से ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों का पुनर्भुगतान करने के लिए मांग सूचना जारी की गई।
ऋणी द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने पर एतद्वारा सूचना ऋणी और आम जनता को दी जाती है कि निम्नहस्ताक्षरकर्ता ने दिनांक 29, माह जुलाई, वर्ष 2022 को उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत, उक्त अधिनियम की उपधारा 8 के साथ पठित उस पर प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्तियों को कब्जे में ले लिया है।
कर्जदारों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुडाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।
ऋणियों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं को विशेष एवं आम जनता को एतद्वारा सम्पत्तियों के साथ कोई संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किया गया कोई भी संव्यवहार दिनांक 29.07.2022 को बकाया राशि रू. 37,25,416.05 (रूपये सैंतीस लाख पच्चीस हजार चार सौ सोलह एवं पैसे पांच मात्र) प्लस दिनांक 30.07.2022 से ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों का पुनर्भुगतान करने के लिए पंजाब नैशनल बैंक, संत तेरेसा आश्रम शाखा, उदयपुर, राजस्थान के प्रभार के अधीन होगा।

अचल सम्पत्तियों का वर्णन

<u>सम्पत्ति 1</u> -सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं जो कि श्री अभिषेक शर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द शर्मा के नाम साम्यिक बंधक व्यावसायिक सम्पत्ति जो ऑफीस नं. 554, तीसरी मंजिल, एस एम लोढा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल, कोर्ट चौराहा मार्ग, उदयपुर, राजस्थान-313001 पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 153 वर्ग फीट है। <u>सीमाएं</u>-उत्तर: गलियारा, दक्षिण: राकेश जी का ऑफीस, पूर्व: ऑफीस नं. 555 (पारस राम जी तेली), पश्चिम: बालकनी

<u>सम्पत्ति 2</u>-सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं जो कि श्री अभिषेक शर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द्र शर्मा के नाम साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति जो प्लॉट नं. 10-सी,नया खेड़ा, सर्वोदय विहार, बलिचा, उदयपुर, राजस्थान-313001 पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग फीट है। <u>सीमाएं</u>- उत्तर: प्लॉट नं. 11, दक्षिण: रोड (30 फीट), पूर्व: प्लॉट नं. 10-बी, पश्चिम: प्लॉट नं. 10-डी

हस्ता.
स्थान: उदयपुर — (देवेन्द्र सिंह चुण्डावत)
दिनांक: 29.07.2022 — प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, पंजाब नैशनल बैंक

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ: 470, यू.सी.सी.आई. भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी, उदयपुर (राज.)
ई-मेल: rorpcbudaipur@gmail.com फोन नं. 0294-2491269

पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

विषय:- मैसर्स राम लाल डांगी एम.एल.न.03/2020 (क्षेत्रफल 3.223 हैक्टेयर) "क्वार्टज एवं फैल्डस्पार", ग्राम-खास की मादड़ी, तहसील-मावली जिला-उदयपुर हेतु क्लस्टर पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स राम लाल डांगी के द्वारा क्वार्टज एवं फैल्डस्पार कलस्टर माईनींग प्रोजेक्ट क्लस्टर क्षेत्रफल 31.2685 हैक्टेयर, 07 mining leases i.e. (1- राम लाल डांगी M.L. no.-03/2020. Ref. no. 20201000016840 Area-3.223), (2- मैसर्स हिंगलाज एक्सपोर्ट M.L. no.-250/2012. Area-4.5001),(3- मैसर्स मयुरा मिनरल्स M.L. No.-198/2012. Area-4.0235),(4. श्री सुखवीर सिंह चोधरी M.L. No.-05/2013. Area-4.9572),(5. श्री उदय लाल डांगी M.L. No.-437/2011. Area-4.9765).(6. श्री प्रभु सिंह रावत M.L. No.24/2013. Area-4.9398).(7. श्री किशन सिंह राव M.L. No.- 94/2012. Area-4.6484).उत्पादन परियोजना क्षमता 186045.6 टन प्रतिवर्ष (रोम), कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 31.2685 Hect. क्लस्टर की कुल उत्पादन क्षमता 8,28,592.8TPA "क्वार्टज एवं फैल्डस्पार", ग्राम-खास की मादडी, तहसील-मावली, जिला- उदयपुर का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।
2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ.1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर की लोकसुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:-
   1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर।
   2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय-4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए-216, अरण्य भवन संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5 वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.)
   5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर
   6) उपखण्ड अधिकारी, मावली, जिला- उदयपुर
   7) निदेशक, पर्यावरण विभाग क... संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
   8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियं... मण्डल, एफ-470 मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादडी उदयपुर (राज.)

अत: सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 13.09.2022 (मंगलवार) को प्रात: 11.30 बजे, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खास की मादडी, तहसील- मावली, जिला- उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप कोविड-19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते हैं।
साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी

...ूचना
...ाता है कि राज्य स्तरीय
...रण राजस्थान सरकार
...AA/SEAC-RAJ /
...18608) 2011 - 22
... द्वारा मैसर्स आनन्द
...सील व जिला राजसमंद
...ना खनन पट्टा संख्या.
... के लिये पर्यावरणीय
...IAA एवं राजस्थान
...जनसाधारण के लिए
... वेबसाइट http://
... पर देखी जा सकती
...सर्स आनन्द मार्बल

... आयुक्त
...वृत, उदयपुर
...., उदयपुर-313001)
...30 दिनांक:-22.7.2022
Registered
...मृत्यु पश्चात):-
...धिसुलाल नागौरी
...संख्या 624 द्वारा
...य योजना, उदयपुर
...आवंटन हेतु आवेदन
... श्री उमेश नागोरी
... वरियता क्रमांक
.../12 जारी किया
...धिसुलाल नागौरी
...019 को हो जाने
...ती अंतिमा नागौरी
...ों ने मृतक के
... का दावा करते
...पक्ष में करने हेतु
... श्रीमती अंतिमा
...नागौरी ने प्रार्थना
... शपथ पत्र एवं
... निर्धारित प्रपत्रों
... में निवेदन किया
... नाम कर दिया
...किसी भी व्यक्ति/
...ो तो 15 दिवस
...लिय को सूचित
... होने के कारण
...3/PKM/G2A/
...आवासीय योजना,
...धिकारी मानकर
...ी स्व.श्री उमेश
...रण कर मण्डल
...गा।